कार्यालय आयुक्त तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश
(म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग)
पूर्व खण्ड, चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल 462004
दूरभाष 0755-2576751 ई-मेल आईडी ctemp.bpl@mp.gov.in,
dte5.planning@mp.gov.in

क्रमांक: e-428956/यो/05/एस/2025/ 702 /भोपाल दिनांक /2025 30/10/2025

प्रति,

1. समस्त प्राचार्य,
शासकीय/स्वशासी /अनुदान प्राप्त /निजी इंजीनियरिंग, पोलीटेकनिक महाविद्यालय,
महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

2. कुल सचिव,
राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल (म.प्र.)।

विषय:- विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षणिक संस्थानों में आत्महत्या की रोकथाम एवं सम्बंधित निवारक उपायों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल (National Task Force) के अनुसार कार्यवाही।

संदर्भ:- शिक्षा मंत्रालय, भारत शासन का कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08/08/2025 एवं दिनांक 13/08/2025

-----00-----

उपरोक्त संलग्न संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.03.2025 के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षणिक संस्थानों में आत्महत्या की रोकथाम एवं सम्बंधित निवारक उपायों पर विचार-विमर्श हेतु कार्य किया जा रहा है। इस सिलसिले में, राष्ट्रीय कार्यबल(National Task Force) की आधिकारिक **वेबसाइट https://ntf.education.gov.in** का शुभारंभ दिनांक 08 अगस्त 2025 को किया गया है। वेबसाइट का उद्देश्य विद्यार्थियों, अभिभावकों, संकाय सदस्यों, मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, संस्थागत प्रतिनिधियों तथा आम जनता से संरचित और गोपनीय अभिप्राय एकत्र करना है।

आपसे अनुरोध है कि अपने संस्था में निम्न निर्देश तत्काल एवं अनिवार्य रूप से लागू किए जाएँ:

1. **वेबसाइट पर भागीदारी:** संस्थान के समस्त विद्यार्थी, संकाय सदस्य, अभिभावक एवं अन्य संबंधित हितधारक निम्न लिंक पर पहुँचकर उपयुक्त सर्वेक्षणों में भाग लें: **https://ntf.education.gov.in**
2. **संस्थागत सर्वेक्षण:** संस्थागत सर्वेक्षण केवल संबंधित HEI के AISITE/AICTE उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल द्वारा भरा जा सकता है। कृपया संस्थागत प्राचार्य /प्रवक्ता सुनिश्चित करें कि संस्थागत सर्वेक्षण समय पर भरा जाए।
3. **प्रसार और जागरूकता:** वेबसाइट तथा सर्वेक्षण की जानकारी विद्यार्थियों, शिक्षकों, होस्टल निवासियों तथा अभिभावकों के मध्य व्यापक रूप से साझा करें। सूचना पोस्टर, ई–मेल, व्हाट्सएप/टीम्स संदेश और संस्थागत वेबसाइट/सोशल मीडिया पेज पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. **प्रोत्साहन:** प्रबंधन/ एवं संकाय से आग्रह करें कि विद्यार्थी समयवद्ध एवं ईमानदारी से सर्वेक्षण भरने हेतु प्रेरित करें। परीक्षा या अन्य गतिविधियों के समय–तालिका के अनुसार संस्थागत स्तर पर सुविधा प्रदान की जा सकती है ताकि अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित हो सके।
5. **गोपनीयता एवं संवेदनशीलता:** सर्वे में दी जा रही सूचनाएँ अनाम एवं गोपनीय रखी जाएँ; किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत पहचान उजागर न की जाए। संस्थान स्थिति की संवेदनशीलता को समझते हुए विद्यार्थियों की निजता और भावनात्मक सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे।
6. **समन्वय एवं रिपोर्टिंग:** संस्थान के कार्यालय/संवेदनशील मामलों के प्रभारी अधिकारी (Nodal Officer) का नाम एवं संपर्क विवरण राज्य/निर्देशालय को ई–मेल के माध्यम से भेजें ताकि आवश्यक समन्वय एवं सहायता सम्भव हो सके।
7. **प्राथमिकता एवं प्रचार:** कृपया इस निर्देश को अत्यधिक प्राथमिकता देते हुए संस्थान के सभी सूचनात्मक चैनलों पर व्यापक प्रचार करें एवं सहभागिता सुनिश्चित करें।

अतः संस्था प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा निर्देशों का तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से पालन करें एवं इसकी रिपोर्ट तैयार कर एक सप्ताह मे संचालनालय के ई-मेल dte5.planning@mp.gov.in पर उपलब्ध कराएं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

"आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित"

Digitally signed by
Yatindra Singh Thakur
Date: 29-10-2025
16:16:16

(डा वाय.एस. ठाकुर)
अतिरिक्त संचालक
तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमांक e-428956/यो/05/एस/2025/ 703 /भोपाल दिनांक 30/10/2025

प्रतिलिपि: निम्नांकित की ओर सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निज सहायक,प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
2. निज सहायक, आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।

अतिरिक्त संचालक
तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश